

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प2 (क)/अलेसे। लिंक न. 4117/ 370

दिनांक :- 13/06/2025
23-06-2025

आदेश

श्री अनिल कुमार शर्मा [लिंक नं. 4117] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर जिनकी जन्म तिथि 22/12/1965 है, ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 01/09/2025 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध किया है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996, के नियम 50 (1) के अन्तर्गत इन्हें दिनांक 01/09/2025 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

श्री अनिल कुमार शर्मा की राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 14/07/1995 है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार शर्मा के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।



(बृजेश किशोर शर्मा)

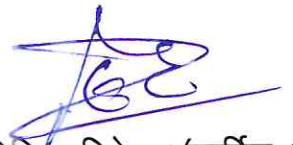
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- प2 (क)/अलेसे। लिंक न. 4117/ 370

दिनांक :- 13/06/2025
23-06-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग
3. कोषाधिकारी जयपुर (शहर)
4. श्री अनिल कुमार शर्मा [4117] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक
6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट



अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)